तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1	मानवीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्र० सं. 202/1995 टी. एन. गोदावर्मन बनाम भारत सरकार में दिनांक 12/12/1996 में वन भूमि को गैर वन भूमि में वन भूमि का उपयोग प्रयोग किये जाने पर प्रतिबन्धित किया गया एवं राजस्व रिकॉर्ड में वन भूमि होने के पश्चात विचाराधीन न्यायालय के द्वारा निर्देश के परिप्रेक्ष्य की अनुमति नहीं है एवं श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं प्रकरणाधिकार का नहीं होने से वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे। उपपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तत्पश्चात न्यायालय का निर्णय मत रहा है कि वादग्रस्त आराजियात राजस्व रिकॉर्ड में वन भूमि के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं संशोधन 1988 के तहत वन भूमि को बिना भारत सरकार की अनुमति के संशोधन नहीं किया जा सकता इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं प्रकरणाधिकार का नहीं होने से वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वादी सक्षम न्यायालय	

उपखण्ड अधिकारी [illegible]
सहायक कलक्टर [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) [illegible]	
	में चापलो(हि) किये जाने हेतु स्वती रखी जावे। फैसला शुमार होकर उर्ज नम्बर से कम हो रिकॉर्ड दाखिल मुताबिक हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	